

दर्सगाह-ए-इस्लामी, फ़ज़ाबाद में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा के अभिभावक को निम्न अनुबंध पर हस्ताक्षर करना और उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

मैं वचन देता हूँ कि -

- 1- मैं और मेरा पाल्य विद्यालय के समस्त नियमों का अनुपालन करेगा। मेरी या मेरे पाल्य की ओर से किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता होने की दशा में मेरे पाल्य के विरुद्ध जो कार्यवाही की जाएगी मैं उसकी पाबंदी करूँगा।
- 2- मैं अपने पाल्य को समय से एवं पाबंदी के साथ पूरे यूनीफ़ॉर्म में विद्यालय भेजूंगा। उसकी पढ़ाई से सम्बंधित जो भी अवाश्यकतायें होंगी उसे समय से पूरा करूँगा।
- 3- मेरी या मेरे पाल्य की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही होने पर उसका नाम काट दिया जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 4- एक महीने में 10 दिन की औसत से या लगातार 10 दिन तक गैर हाज़िर रहने पर मेरे पाल्य का नाम काट दिया जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 5- निश्चित हाज़िरी से कम हाज़िरी होने की सूरत में अगर मेरे पाल्य को परीक्षा देने से रोक दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 6- विद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को छात्रों द्वारा नुकसान पहुंचाने की सूरत में अगर सामूहिक जुर्माना किया जाता है तो मैं उसे सहर्ष अदा करूँगा।
- 7- मैं विद्यालय की समस्त फ़ीस समय से जमा करूँगा। अगर किसी मजबूरी से कभी फ़ीस न जमा कर सका तो इसकी सूचना विद्यालय को दूँगा और लिखित अनुमित हासिल करूँगा। **मुझे मालूम है कि दो महीने की फ़ीस बाकी होजाने पर मेरे पाल्य का नाम कट जायेगा।**
- 8- अगर मेरे पाल्य की फ़ीस माफ़ होती है तो छमाही परीक्षा में फ़ेल होने की सूरत में उसकी फ़ीस माफ़ी रोक दी जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं छमाही के बाद की पूरी फ़ीस अपने पास से जमा करूँगा।  
नोट:- (सालाना इम्तिहान में पास होने पर जमा की गई फ़ीस अभिभावक को मई में स्कूल द्वारा नगद लौटा दी जाएगी।)
- 9- बच्चे के स्कूल न आने पर मेरी दस्तख़त से छुट्टी की दरखास्त जायेगी। मेरी दस्तख़त का नमूना नीचे है। रिपोर्ट कार्ड पर भी मैं ही दस्तख़त करूँगा। **रिपोर्ट कार्ड पर दस्तख़त विद्यालय में आकर 'रिपोर्ट डे' के दिन करना होगा।**
- 10- विद्यालय समय-समय पर जो भी नियम बनायेगा, सूचनायें देगा मैं और मेरा पाल्य उन सभी का अनुपालन करेंगे।

पिता के न होने पर अभिभावक का पूरा नाम \_\_\_\_\_

छात्र से रिश्ता \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर अभिभवक \_\_\_\_\_

SR No. \_\_\_\_\_

नाम छात्र/छात्रा \_\_\_\_\_

कक्षा \_\_\_\_\_

दर्सगाह-ए-इस्लामी, फ़ज़ाबाद में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा के अभिभावक को निम्न अनुबंध पर हस्ताक्षर करना और उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

मैं वचन देता हूँ कि -

- 1- मैं और मेरा पाल्य विद्यालय के समस्त नियमों का अनुपालन करेगा। मेरी या मेरे पाल्य की ओर से किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता होने की दशा में मेरे पाल्य के विरुद्ध जो कार्यवाही की जाएगी मैं उसकी पाबंदी करूँगा।
- 2- मैं अपने पाल्य को समय से एवं पाबंदी के साथ पूरे यूनीफ़ॉर्म में विद्यालय भेजूंगा। उसकी पढ़ाई से सम्बंधित जो भी अवाश्यकतायें होंगी उसे समय से पूरा करूँगा।
- 3- मेरी या मेरे पाल्य की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही होने पर उसका नाम काट दिया जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 4- एक महीने में 10 दिन की औसत से या लगातार 10 दिन तक गैर हाज़िर रहने पर मेरे पाल्य का नाम काट दिया जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 5- निश्चित हाज़िरी से कम हाज़िरी होने की सूरत में अगर मेरे पाल्य को परीक्षा देने से रोक दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 6- विद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को छात्रों द्वारा नुकसान पहुंचाने की सूरत में अगर सामूहिक जुर्माना किया जाता है तो मैं उसे सहर्ष अदा करूँगा।
- 7- मैं विद्यालय की समस्त फ़ीस समय से जमा करूँगा। अगर किसी मजबूरी से कभी फ़ीस न जमा कर सका तो इसकी सूचना विद्यालय को दूँगा और लिखित अनुमित हासिल करूँगा। **मुझे मालूम है कि दो महीने की फ़ीस बाकी होजाने पर मेरे पाल्य का नाम कट जायेगा।**
- 8- अगर मेरे पाल्य की फ़ीस माफ़ होती है तो छमाही परीक्षा में फ़ेल होने की सूरत में उसकी फ़ीस माफ़ी रोक दी जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं छमाही के बाद की पूरी फ़ीस अपने पास से जमा करूँगा।  
नोट:- (सालाना इम्तिहान में पास होने पर जमा की गई फ़ीस अभिभावक को मई में स्कूल द्वारा नगद लौटा दी जाएगी।)
- 9- बच्चे के स्कूल न आने पर मेरी दस्तख़त से छुट्टी की दरखास्त जायेगी। मेरी दस्तख़त का नमूना नीचे है। रिपोर्ट कार्ड पर भी मैं ही दस्तख़त करूँगा। **रिपोर्ट कार्ड पर दस्तख़त विद्यालय में आकर 'रिपोर्ट डे' के दिन करना होगा।**
- 10- विद्यालय समय-समय पर जो भी नियम बनायेगा, सूचनायें देगा मैं और मेरा पाल्य उन सभी का अनुपालन करेंगे।